RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-03
Issue-04
April-2018

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

कैबिनेट मिशन योजना एवं महात्मा गाँधी

अनिल कुमार सिंह

शोध छात्र इतिहास विभाग वीर कुवँर सिंह विश्वविद्यालय (आरा)

इंगलैंड के मजदुर दल ने अपने चुनाव घोषणा–पत्र (15मई 1946 ई0) में कहा था कि महदूर दल की सराकर बनने पर भारत को स्वराज्य प्रदान किया जायेगा और इंगलैण्ड में इस बात का काफी प्रचार किया गया। ब्रिटेन की महदूर दलीय सरकार ने कार्य सम्भालते ही भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने में रूचि लेनी शुरू कर दी। 1945–46 की शीत ऋतु में भारत में आम चुनाव हुए। इसके पश्चात् मजदूर दलीय सरकार ने चुनाव के बाद उत्पन्न स्थिति का अध्ययन करने के लिए संसदीय शिष्टमण्डल भारत भेजा, जिसमें गलैण्ड के सब दलों के महत्वपूर्ण सदस्य थे। इस मण्डल के सदस्यों ने भारतीय नेताओं से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी।

19 फरवरी, 1946 को भारत–मंत्री लार्ड पैथिक लॉरेन्स ने यह घोषणा की कि, ब्रिटिश सरकार भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजेगी, जो भारतीय नेताओं से भारतीय स्वतंत्रता के प्रश्न पर विचार–विनिमय करेगी। उसी दिन भारत के वायसराय ने कहा कि, इस मिशन मिशन में भारत–मंत्री लार्ड पैथिक लॉरेन्स, सर स्टैफर्ड किप्स एवं सर ए0वी0 अलेक्जेण्डर होंगे। संसदीय मण्डल की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री मि0 एटली ने 15 मार्च, 1946 को भारत के प्रति अपनी सरकार की नीति के संबंध में ब्रिटेन के "हाउस ऑफ" में एक महत्वपूर्ण घोषणा की जिसमें पहली बार भारत के लिए "स्वाधीनता शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इस घोषणा में कहा गया था कि भारत को खुद चुनना होगा कि उसका भावी संविधान क्या होगा और दुनिया में उसकी स्थिति क्या होगी?

मैं आशा करता हूँ भारत ब्रिटिश कॉनवेल्थ में रहने का चुनाव कर सकता है मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसा करने से उसी बड़ी सुविधा प्राप्त होगी, क्योंकि ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और साम्राज्य एक साथ बाहरी बाध्यता की जंजीर से बंधे हुए नहीं है। वह स्वतंत्रता राष्ट्रों का स्वतंत्र संघ है।

"अगर इसके विपरीत वह स्वाधीनता का चुनाव करता है और हमारे दृष्टिकोण से उसे ऐसा करने का अधिकार है, तो हमारा काम होगा, संक्रमण को जितना सम्भव हो, उतना निर्विध्न और आसान बनाने में मदद करना।

"हमें अल्पसंख्यक समाजों के अधिकारों का ध्यान है। होना ऐसा चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक समाज भयमुक्त होकर रह सके। दूसरी तरफ हम बहुसंख्यक समाज की अग्रगति को रोकने का अधिकार अल्पसंख्यक समाज को नहीं दे सकते। इस घोषणा में भारतीयों के आत्म–निर्णय के अधिकार को माना गया। भारतीय को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में इच्छानुसार रहने अथवा छोड़ने की भी छूट दी गयी। साथ ही यह भी कहा गया कि यद्यपि ब्रिटिश सरकार अल्पसंख्यक वर्गो के हितों के बारे में बहुत चिन्तित है, परन्तु हम किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को बहुमत की प्रगति रोकने के लिए निषेधाधिकार नहीं दे सकते।

लार्ड एटली की यह घोषणा अत्यन्त ऐतिहासिक थी, क्योंकि इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम बार भारतीयों के आत्म–निर्णय के अधिकार और स्वंय अपने संचिधान के निर्माण के अधिकार को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। इस घोषणा में यह भी स्पष्ट कर दिया कि कोई भी अल्पमत भारत की उन्नति में सदा के लिए रोड़ा नहीं अटका सकता था। इस प्रकार, लीग को यह स्पष्ट कह दिया गया कि उसे देश के संवैधानिक विकास को रोकने का अधिकार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा की गयी कि ब्रिटिश सरकार भारतीय गतिरोध को हल करने के लिए एक कैबिनेट मिशन भेज रही है। इस घोषणा से भारतीय में आश का संचार हुआ, क्योंकि वे समझ गये कि भारत की स्वतंत्रता अब अधिक दूर नहीं है।

कैबिनेट मिशन का भारत आगमन–कैबिनेट मिशन 24 मार्च, 1946 ई0 को दिल्ली पहुँचा। कमीशन के अध्यक्ष भारत–मंत्री लाई पैथिक थे और इसके दो अन्य सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने भारत आगमन पर यह स्पष्ट कर दिया कि हम भारत में विरोधी दावों का निर्णय करने के लिए नहीं आये है, वरन् भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपने के उपाय की खोज में आये है।

दिल्ली पहुँचते ही मिशन के सदस्यों ने भारत के अनेक दलों और हितों के प्रतिनिधियों विशेष रूप से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं से वार्ता आरम्भ की जो 17 अप्रैल तक चलती रही। इस वार्ता के बाद मिशन के सदस्यों को यह स्पष्ट हो गया कि साम्प्रदायिक समस्या पर भारतीय नेताओं में बहुमत मतभेद है। विशेषकर मुस्लिम लीग पाकिस्तान प्राप्त किये बिना समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी। मिशन में कांग्रेस एवं लीग के बीच समझौता कराने के उदेश्य से दोनों दलों के तीन सदस्यों को शिमला आमंत्रित किया। इस सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से मौलाना आजाद, पं0 जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल तथा लीग की ओर से जिन्ना, इस्माईल खॉ तथा लियाकत अली खॉ तथा मिशन की ओर से इनके तीन सदस्यों ने वार्तालाप में भाग लिया। यह सम्मेलन 15 मई से 11 मई 1946 तक चलता रहा, परन्तु साम्प्रदायिक समस्या का समाधान करने में असफल रहा। इसका मुख्य कारण यह था कि मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना सिी भी दशा में पाकिस्तान करने के लिए तैयार नहीं थी, जो कि पाकिस्तान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करती हो। कैबिनेट मिशन के सदस्य भी लीग पाकिस्तान मॉग से सहमत नहीं थे। ऐसी स्थिति में यह सम्मेलन असफल रहा।

कैबिनेट मिशन योजना–जब किसी प्रकार भी भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं में कोई समझौता नहीं हो सका, तो भारत की वैधानिक समस्या को हल करने के लिए कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बाद अपनी ओर से 16 मई, 1946 ई0 को एक योजना प्रकाशित की, जो

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

कैबिनेट मिशन योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इस योजना की मुख्य–मुख्य बातें निम्नलिखित थी।

(क) दीर्घकालीन योजना संबधी प्रस्ताव–

कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत दीर्घकालीन योजना संबंधी प्रस्ताव निम्न प्रकार थे–

(1) पाकिस्तान की मॉग की अस्वीकृति–मिशन ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने लीग की पाकिस्तान की मॉग पर विचार किया है, पर हम सोचते है कि इससे साम्प्रदायिक समस्या का हल न हो सकेगा। मिशन का यह कहना ठीक ही था, क्योंकि पाकिस्तान के निर्माण के बाद न केवल मुसलमान भारत में रहेंगे, वरन पंजाब, बंगाल एवं आसाम में, जिनको पाकिस्तान में मिलाने की मॉग की जा रही थी, हिन्दुओं का ही बहुमत होगा। फिर भौगोलिक दृष्टि से भी भारत अखण्ड था।

(2) भारत के लिए संघ का प्रस्ताव–ब्रिटिश भारत के प्रान्तों और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ बनाया जायेगा, जिसके अधिकार में केवल वैदेशिक मामले, प्रतिरक्षा तथा संचार के साधन होंगे। संघ राज्य को यह भी अधिकार होगा कि वह इन तीनों विभागों का खर्च चलाने के लिए आवश्यक घन प्राप्त कर सके।

(3) संघ की कार्यकारिणी एवं विधायिका– भारतीय संघ की अपनी कार्यपालिका तथा व्यवथापिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रान्तों और देशी रियासतों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

(4) साम्प्रदायिक प्रश्न–संघ राज्य की व्यवस्थापिका सभा में महत्वपूर्ण साम्प्रदायिक प्रश्नों के निर्णय के लिए यह आवश्यक होगा कि साधारण बहुमत के अतिरिक्त दोनों प्रमुख सम्प्रदायों (हिंदू और मुसलमान) के पृथक–पृथक उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होगी।

(5) अवशिष्ट शक्तियों पर प्रान्तों का अधिकार– संघीय सुची में जिन विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है, वे सब प्रान्तों के पास रहेगे। तमाम अवशिष्ट शक्तियॉ भी प्रान्तों के पास रहेंगी।

(6) भारतीय रियासतों के अधिकार–जिन विषयों को देशी रियासतें संघ को नहीं सौंपगी, उन सब पर देशी रियासतों का अधिकार रहेगा।

(7) प्रान्तों के ग्रुप– प्रान्तों को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वे परस्पर मिलकर अपने अलग–अलग समूह बना सके। प्रान्तों के अलग–अलग विधान मण्डल तथा कार्यपालिका होंगे। कैबिनेट मिशन ने ब्रिटिश भारत के प्रान्तों को तीन ग्रुपों में विभक्त किया। प्रथम ग्रुप में मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उड़िसा के प्रान्त रखे गये, जिनमें हिन्दुओं की बहुसंख्या थी। तीसरे ग्रुप में बंगाल और आसाम के प्रान्त रखे गये। प्रत्येक ग्रुप यह निश्चित कर सकता था कि सामूहिक संविधान की व्यवस्था की जाये या नहीं और यदि ऐसा किया जाये, तो कौन से प्रान्तीय विषयों पर इसका नियन्त्रण हो।

(8) संविधान पर पुनर्विचार– कैबिनेट मिशन ने यह भी प्रस्ताव रखा कि भारतीय संघ तथा प्रान्तों के ग्रुपो के संविधानों में यह धारा रखी जाये कि कोई भी प्रान्त अपनी विधानसभा में बहुमत द्वारा प्रस्ताव पास करके इस योजना के आरम्भ होने के 10 वर्ष बाद संविधान की धाराओं की धाराओं पर पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव पेश कर सकेगा। ऐसा इसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के बाद हो सकेगा।

(ख) संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव–

कैबिनेट मिशन योजना के अन्तर्गत संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव निम्न प्रकार थे–

(1) इस योजना में यह सुझाव दिया गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संचिधान सभी की सीपना की जायेगी, जिसमें कुल 389 सदस्य होंगे। इनमें से 93 देशी रियासतों, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रान्तों के और 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रान्तों के होगे।

(2) लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा।

(3) प्रान्तों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया गया तथा यह निश्चित किया गया कि प्रान्तीय विधानसभा में प्रत्येक सम्प्रदाय को जितने प्रतिनिधि संविधान सभा में भेजने थे, उनका चुनाव प्रत्येक सम्प्रदाय अलग–अलग करेगा।

(4) अल्पसंख्यक वर्गो को आबादी से अधिक प्रतिनिधित्व देने की प्रथा को खत्म कर दिया गया। समस्त मतदाताओं को केवल तीन वर्गो में विभक्त करने का निश्चय किया गया–साधारण, मुसलमान एवं सिक्ख (केवल पंजाब में) साधारण मतदाताओं में सिक्खों और मुसलमानों को छोड़कर शेष सभी सम्प्रदाय, जैसे– हिन्दू भारतीय ईसाई, पारसी तथा आंग्ल भारतीय आदि शामिल थे। इस योजना में व्यस्क मताधिकार को नहीं अपनाया गया।

(5) रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया, परन्तु उनके प्रतिनिधियों के चुनाव का ढंग ब्रिटिश भारत में संविधान सभा के लिए चुने गये प्रतिनिधियों की समझौता समिति और देशी नरेशों की ओर से नियुक्त समिति के बीच में आपसी बातचीत द्वारा किया जायेगा।

(6) इस योजना में जहॉ प्रान्तों में अलग कार्यपालिका और विधान–मण्डल बनाये जाने की व्यवस्था थी, वहॉ प्रान्तों के लिए अलग संविधानों की भी इस योजना में व्यवस्था की गयी। इसके लिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रारम्भिक बैठक के बाद सदस्य अपने आपको तीन समूहो में विभक्त कर लेगें। प्रथम समूह में मद्रास, बम्बई संयुक्त प्रान्त, उड़ीसा बिहार तथा मध्य प्रान्त के प्रतिनिधि बैठेगे। ये मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्त थे, जिन्हें मिलाकर मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाना चाहती थी। तीसरे समूह में बंगाल और आसाम में प्रतिनिध बैठेगे। इस प्रान्तों को मुस्लिम लीग पूर्वी पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी।

(7) इन तीनों वर्गो को अलग–अलग बैठकर प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधियों को यह निर्णय करना था कि उनके प्रान्तों के लिए कैसा संविधान हो, कौन से विषय समूह के पास रहे और कौन से विषय प्रत्येक प्रान्त के विधान–मण्डल के पास रहें।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

(8) इस नये संविधान के अधीन प्रथम चुनाव के बाद प्रत्येक प्रान्त को यह छुट थी कि यदि वह अपने विधान–मण्डल के बहुतम से समूह को छोड़ने का प्रस्ताव पारित कर दे, तो वह उस समूह को छोड़ सकता था, जिसमें वह शामिल था।

जैसा कि कहा जा चुका है कि सभी प्रान्तों को तीन समूहों (ग्रुपों) में बॉटा गया, इनके नाम तथा उनकी सदस्य संख्या निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायेगाः–

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	कुल योग
मद्रास	45	04	49
बम्बई	19	03	21
संयुक्त प्रान्त	47	03	55
बिहार	31	05	36
मध्य प्रदेश	16	01	17
उड़ीसा	09	00	09
कुल योग	167	16	187

द्वितीय समुह

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	सिक्ख	कुल योग
पंजाब	08	16	04	28
उत्तर–पश्चिम सीमा प्रान्त	03	00		03
सिन्ध	01	03	00	04
कुल योग	09	22	04	35

तृतीय समूह

प्रान्त	साधारण	मुस्लिम	कुल योग
बंगाल	27	33	60
आसाम	07	03	10
कुल योग	34	36	70

संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या इस प्रकार होनी थीः–

(1) प्रान्तों के प्रथम द्वितीय एवं तृतीय वर्गो का योग=187+35+70=292

(2) भारतीयों रियासतो के अधिकतम स्थान =93

(3) चीफ कमीश्नर वाले प्रान्तों के स्थान =04 कुल योग =389

(ग) ब्रिटेन और भारत के मध्य सन्धि

शासन सत्ता के हस्तान्तरण के परिणामस्वरूम उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच एक सन्धि होगी। इस योजना में यह आशा व्यक्त की गयी कि भारत ब्रिटिश राष्ट्र–मण्डल का सदस्या बना रहेगा, लेकिन साथ ही यदि भारत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को छोड़ना चाहेगा, तो उसे ऐसा करने की पूरी छूट होगी। योजना में यह भी कहा गया कि ब्रिटिश सरकार संविधान सभा द्वारा बनाये गये संविधान को लागू करने के लिए बाध्य होगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि भारतीयों को सता हस्तातंरित करने के उपरांत ब्रिटेन के लिए देशी रियासतों पर सर्वोपरिता रखना कठिन होगा, परन्तु यह नवीन सरकार को भी नहीं दी जायेगी। इसका यह अर्थ था कि रियासते स्वतंत्र हो सकेगी।

(घ) इस योजना में यह सुझाव दिया कि जब तक संविधान सभा नये संविधान का निमार्ण नहीं कर देती, त तक उद्देश्य में एक अन्तरिम सरकार की स्थापना की जायेगी। इस सरकार में युद्ध विभाग सहित सारे विभाग भारतीय मंत्रियों को दिये जायेगे, जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त होगा। इस सरकार में 14 सदस्य होंगे– 6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीग, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिक्ख और 1 पारसी 1 योजना में यह भी विश्वास दियाला गया कि ब्रिटिश सरकार प्रशासकीय मामलों में अन्रिम सरकार को पूर्ण सहयोग करेगी, ताकि सता का हस्तातंरण तेजी से और शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हो सके।

योजना का मूल्यांकन–

कैबिनेट मिशन योजना एक व्यापक और महत्वपूर्ण योजना थी, जिसका अधिकांश नेताओं और दलों द्वारा स्वागत किया गया। यद्यपि यह योजना सर्वथा त्रटिरहित न थी, इसके द्वारा भारतीय समस्या को सुलझाने के लिए ब्रिटिश सरकार का एक सच्चा प्रयत्न था। गॉधी के अनुसार, तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत यह सर्वोत्तम प्रलेख था। इस प्रलेख क`लेखकों ने उन बातों को कम से कम स्थान अवश्य दिया, जिन पर सभी दल भारतीय स्वतंत्रता के चार्टर के निर्माण के लिए एकत्र हो सके। माइकेल थ्रेचर के अनुसार, योजना का मूल दोष इसकी जटिल और कष्टकारी प्रक्रिया थी। मौलाना आजाद लिखते हैं कि, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा मिशन योजना की स्वीकृति भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास में एक गौरवपूर्ण घटना हैं इसका अभिप्राय था कि स्वतंत्रता के कठिन प्रश्न का निर्णय वार्ता और समझौता से हुआ है न कि हिंसा और विवाद से। इन कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि कैबिनेट योजना में कुछ गुण थे, जिसके कारण उसका भारतीय संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान है।

योजना के गुण–कैबिनेट मिशन योजना के प्रमुख गुण निम्नलिखित थे–

(1) एक सच्चा और वास्तविक प्रयत्न– निःसन्देह यह योजना भारतीय संविधान के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सच्चा और ईमानदार प्रयास था। यह वस्तुतः उन परिस्थितियों में भारतीय समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल था। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है कि मिशन के सदस्य न तो कोई तैयार योजना लेकर भारत आये थे और न ही उनका उद्देश्य भारतवासियों पर अपनी कोई योजना थोपना था। मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मॉगों को सुनने के बाद बीच का मार्ग अपनाते हुए कए ऐसी योजना सामने रखी, जो दोनों पक्षों के बीच समझौता उत्पन्न कर सके। लार्ड वेवेल ने इस योजना के संबंध में कहा था कि यह एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा भातर मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा और सिक्खों आदि सभी की मांगों को यथासम्भव पूरा करने तथा अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त इस योजना को स्वीकार करके भारत राजनीतिक गुटबन्दियों के झगड़ों से रहित शांतिपूर्ण भविष्य की आशा कर सकता हैं। यहां तक कि मुस्लिम लीग के कर्ता–धर्ता जिन्ना ने इस बात को स्वीकार किया कि अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान की इससे और अधिक न्याय संगत योजना नहीं हो सकती थी।

(2) भारत की अखण्डता को मान्यता– मिशन ने कांग्रेस के इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया कि भारत अखण्ड

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

रहेगा। इस प्रकार, मिशन ने पाकिस्तान की मांग को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इससे न तो अल्पसंख्यकों की समस्या होगी और न ही यह प्रशासनिक कुशलता के अनुरूप होगा। इससे भारतीय एकता भंग हो जायेगी ओर डाक–तार एवं यातायात के अन्य सभी साधनों को, जिनकी व्यवस्था संयुक्त भारत के आधार पर की गयी है, विघटित करना पड़ेगा। पाकिस्तान आर्थिक और भौगौलिक दृष्टि से भी सम्पन्न राज्य नहीं बन पायेगा। मिशन के विचार में सेनाओं का बॅटवारा तथा संचार साधनों में गड़बड़ी उत्पन्न करना अवांछनीय होगा। इसके अतिरिक्त पंजाब, बंगाल और आसाम के उन 7 जिलों को, जिनमें गैर–मुसलमानों की बहुसंख्या है, पाकिस्तान में सम्मिलित करना न्यायसंगत नहीं होगा। इस प्रकार, कुछ और युक्तियॉ देकर इस ऐतिहासिक मिशन ने पाकिस्तान की मॉग को अस्वीकार करके सारे भारत के लिए संघ स्थापित करने का सुझाव दिया। राष्ट्रवादियों ने इस विचारधारा का तहेदिल से स्वागत किया और इसे योजना की एक सराहनीय विशेषता माना गया। इसके साथ ही कैबिनेट मिशन में अल्पसंख्यकों के हितों का भी पूरा ध्यान रखा गया था। इस तरह से इस योजना में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के दृष्टिकोण में मेल उत्पन्न करने की कोशिश की गई।

(3) संविधान सभा का लोकतंत्रीय आधार– मिशन द्वारा प्रस्तुत संविधान सभा का प्रस्ताव प्रजातंत्रात्मक सिद्धांतों पर आधारित था। इसका चुनाव जनसंख्या और आनुपातिक प्रतितिनिधत्व के आधार पर होना निश्चित हुआ था। अल्पसंख्यक वर्गो को आबादी के अनुपात से अधिक स्थान देने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया था तथा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को भी केवल सिक्खों एवं मुसलमानों तक सीमित कर दिया गया था, संविधान सभा के सारे सदस्य भारतीय ही थे। यूरोपियन और ब्रिटिश हितों के प्रतिनिधियों को इसमें कोई स्थान नहीं दिया गया था।

(4) पाकिस्तान बनाये बिना मुसलमानों को पाकिस्तान जैसी सुविधाएं–

कैबिनेट मिशन योजना ने भारत का विभाजन किये बिना ही मुसलमानों को ऐसी सुविधाऍ प्रदान करदी, जिन्हें वे एक स्वतंत्र राज्य में ही प्राप्त कर सकते थे। मुसलमानों को प्रश्न्न करने की दृष्टि से ही ऐसा किया गया था। इसी उद्देश्य से प्रान्तों को समूहों में बॉटा गया और उनको पर्याप्त शक्ति प्रदान की गई, प्रतिरक्षा वैदेशिक संबंध तथा यातायात के अतिरिक्त शेष अधिकार प्रान्तों के अधीन रखे गये। अवशिष्ट शक्तियॉ भी प्रान्तों के हाथों में रखी गयी, क्योंकि मुस्लिम लीग केन्द्र को अधिक शक्तियॉ देने के लिए तैयार नहीं थी। समुहों को संघ से संबंध–विच्छेद करने का अधिकार भी दिया गया। इस योजना में इस प्रकार की व्यवस्था की गयी थी कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर मुसलमानों की संख्या का बहुमत प्राप्त किये बिना उस पर निर्णय नहीं किया जा सकता था। योजना के इन गुणों को दृष्टि में रखते हुए जिन्ना ने इसे स्वीकार करने का परामर्श दिया।

(5) देशी रियासतों की जनता के अधिकारों को मान्यता देना– किप्स योजना में देशी रियासतों के नराशों को संविधान सभा के प्रतिनिधि मनोनीत करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन इस योजना के द्वारा रियासतों की जनता को अब स्वंय अपने राजनीतिक भाग्य के निर्णय का अधिकार दिया गया। यद्यपि योजना में स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि रियासतों की जनता संविधान सभा में प्रतिनिधि चुनकर भेजेगी, परन्तु इस संबंध में जिस समझौता समिति की व्यवस्था की गयी थी, उसका कार्य रियासतों की जनता के अधिकारों का निर्णय करना ही था। रियासतों की जनता के अधिकारों की दी गयी यह रियासत वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण रियासत थी।

(6) अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार की व्यवस्था– इस योजना में नये संविधान के बनने तक अन्तरिम काल के लिए एक राष्ट्रीय सरकार के गठन की व्यवस्था की गयी थी। योजना में कहा गया था कि अन्तरिम सरकार के सब सदस्य भारतीय होंगे और प्रतिरक्षा विभाग पर भारतीयों का नियंत्रण स्थापित कर दिया जायेगा। गवर्नर जनरल केवल संवैधानिक प्रमुख होगा। शासन संचालन में इस अन्तरिम सरकार को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता दी जायेगी और ब्रिटिश सरकार इसे अपना पूर्ण सहयोग देगी। यह पूर्वकालीन प्रस्तावों पर निश्चित रूप से एक सुधार था।

(7) संविधान सभा की प्रभुसता– योजना के अन्तर्गत संविधान सभा को अपना संविधान बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत यह संविधान सभा प्रभुसताधारी थी। ब्रिटिश सरकार ने यह वचन दिया िकइस संविधान सभा द्वारा बनाये गये संविधान करे लागू कर दिया जायेगा। ब्रिटिश सरकार से सता हस्तान्तरण के कारण उत्पन्न हुए मामलों को निपटाने के लिए सन्धि की जायेगी। इस प्रकार, पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण के बिना अपना संविधान बनाने का अधिकार मिला।

(8) राष्ट्र–मण्डल की सदस्यता ऐच्छिक–योजना के द्वारा भारतीयों को यह अधिकार भी दिया गया था िकवे राष्ट्रमण्डल के सदस्य रहने या न रहने का निर्णय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। भारत की स्वतंत्रता और प्रभुसता की दृष्टि से यह अधिकार महत्वपूर्ण था।

दूर्गादास बसु के अनुसार, पहली बार इस योजना के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत का पूर्ण स्वाधीनता का, अपना संविधान बनाने का और राष्ट्रमण्डल में रहने या न रहने का अधिकार स्वीकार किया था और भारत से ब्रिटिश शासन शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने की दिशा में कारगर कदम उठाया था।

योजना के दोष–

यद्यपि इस योजना में अनेक गुण विधमान थे, तथापि इसमें कुछ दोष भी थे। श्री पामदत ने लिखा है कि, भारतीय स्वतंत्रता की योजना के रूप में सन् 1946 की नवीन व्यवस्था को विश्व की सम्मति के लिए बड़े व्यापक रूप से उसके सम्मुख उपस्थित किया गया था। फिर भी उसकी धाराओं के परीक्षण से यही निष्कर्ष निकलता है िकवह 1942 ई0 के क्रिप्स प्रस्ताव का ही तनिक परिवर्तित रूप था और भारतीय स्वतंत्रता तथा प्रजातंत्रात्मक प्रणाली द्वारा निर्वाचित भारतीवासियों के इस अधिकार की स्थापना से अत्यंत दूर था कि वे अपने भविष्य का निर्माण स्वंय करेगे। योजना दोषों का उल्लेख निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है–

(1) निर्बल केन्द्र– कैबिनेट मिशन योजना का एक प्रमुख दोष यह था कि इसमें केन्द्रीय सरकार के हाथ में केवल तीन विषय–प्रतिरक्षा संचार साधन तथा वैदेशिक सम्बन्ध रखे गये थे। दूसरे अनेक महत्वपूर्ण विषय–मुद्रा, सिक्के, अन्तराष्ट्रीय

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

व्यापार, योजनाकरण, तौल तथा माप एवं संधीय न्यायालय जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रान्तों के हाथ में छोड़ दिया गया था। इससे केन्द्र अवश्य ही निर्बल रहता और भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देते हुए स्पष्टः कहा था कि यदि लीग केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र को विस्तृत करने के विरूद्ध है, तो सभा को अवश्य ही इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा।

(2) पाकिस्तान के सार की स्वीकृति– यद्यपि इस योजना में पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया गया था, लेकिन इस मांग को अस्वीकार करते हुए भी इसके सार को इस रूप में अपना लिया गया था कि प्रान्तों के अनिवार्य रूप से समुह बनेगे। केन्द्र सरकार को दी गयी तीन शक्तियों के अतिरिक्त शेष शक्तियों प्रान्तों के पास रहेगी। इस तरह से अपने–अपने क्षेत्र में प्रान्त अपनी मनमानी कर सकते थे। प्रान्तों का वर्गीकरण भी साम्प्रदायिक अधार पर किया गया था। इसलिए ख तथा ग समुह में मुस्लिम लीग अल्पसंख्यकों के साथ मनमाना व्यवहार कर सकती थी। इस तरह से इन प्रान्तों में हिन्दुओं और सिक्खों को मुस्लिम ली की दया पर छोड़ दिया गया। प्रान्तों को इस प्रकार के वर्गो में वर्गीकृत कर देने से देश की राष्ट्रीय एकता समाप्त हो जाती इस प्रकार, कैबिनेट मिशन ने हमारी पाकिस्तान की मॉग की ओर जो रवैया अपनाया है, वह बड़ा निन्दनीय है। ऐसा करना उसकी एक भारी भूल है। मैं आपकों यह बतला देना चाहता हूॅ कि भारत के मुसलमान तब तक सन्तुष्ट न होंगे, जब तक कि वे पाकिस्तान के रूप में अपना एक स्वतंत्र तथा सता सम्पन्न राज्य स्थापित नहीं कर लेते। यद्यपि मिशन ने कांग्रेस को प्रसन्न और सन्तुष्ट करने के लिए तथ्यों को कुछ तोड़–मरोड़ दिया है, तथापि हमें यह नहीं भुलना चाहिए कि उनकी इस योजना में भी पाकिस्तान के अंकुर विद्यमान है।

(3) प्रान्तों का अवैज्ञानिक वर्गीकरण–योजना के अनुसार ब्रिटिश भारत को तीन प्रान्तीय समूहों में विभक्तों किया गया था। प्रत्येक वर्ग तथा प्रान्त अपना–अपना संविधान बना सकते थे। प्रान्तों के समूह किसी वैज्ञानिक ढंग से नही बनाये गये, वरन् मुस्लिम लीग को प्रसन्न करने के लिए ही बनाये गये। आसाम हिन्दू बहुसंख्या वाला प्रान्त था, उसे मुस्लिम बहुसंख्या वाले प्रान्त के साथ जोड़ दिया गया। उत्तर–पश्चिमी सीमा प्रान्त में कांग्रेस का बहुमत होते हुए भी उसे "ख" वर्ग में डाल दिया गया था। इस प्रकार, प्रान्तों के साम्प्रदायिक अधार पर ग्रुप बनाना ही गलत बात थी।

(4) संविधान निर्माण का कम विपरीत– कैबिनेट मिशन में संघ और प्रान्तों के संविधान के निर्माण का जो कम निर्धारित किया गया था, वह पूर्ण रूप से अतार्किक थां। योजना के अनुसार पहले प्रान्तों और वर्गो और वर्गो को अपना–अपना संविधान बनाना था, तत्पश्चात् संघ शासन का संविधान बनाया जाता था। ऐसा करना निश्चित रूप से गाड़ी को घोड़े के आगे रखने के समान था। इसका स्वाभाविक परिणाम यह होता कि सारे भारत में एक सर्वसम्मत संविधान बनाना असम्भव हो जाता। श्री जयप्रकाश नारायण ने संविधान सीाी की अलोचना करते हुए कहा था कि, यह संविधान सभा अपने गठन में उस संविधान से कहीं बहुत भिन्न है, जिसकी रूप रेखा पं0 नेहरू ने हमारे सामने रखी थी। उसकी रचना ब्रिटिश सरकार ने की है, अतः हम इसके द्वारा उस स्वतंत्रता को पाने की आश कदापि नहीं कर सकते, जिसके लिए हम संघर्ष करते रहे हैं इस संविधान सभा की कई ऐसी त्रटियॉ है कि उनका लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार स्वतंत्र भाारत को अपनी इच्छानुसार संविधान नही बनाने देगीं।

5 कुछ अस्पष्ट प्रावधान– इस योजना के कुछ प्रावधान बहुत ही अस्पष्ट थें। यह कहीं नही बताया गया कि प्रान्तों को बर्गीकरण ऐंच्छिक था या अनिवार्य । अंतरिम सरकार से संबधीत प्रावधान भी इसका अस्पष्ट थे कि उनकी परस्पर विरोधी व्याख्या संभव था। योजना के अनेक प्रावधानों का कांग्रेस ने कुछ ओर अर्थ निकाला और मुस्लिम लीग ने कुछ दूसरा अर्थ निकाला, जिसके परिणाम स्वरूप योजना की सफलता की संदग्धि हो गयी।

6. रियासतों से संबधित व्यवस्था शरारतपुर्ण – कैबिनेट मिशन योजना में देश राज्यों के संबध में जो व्यवस्था की गयी थी। वह शरारतपूर्ण थी। योजना के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि ब्रिटिश सरकार स्वंतत्र के बाद देशी रियासतों के उपर सर्वोच्चता न तो स्वयं रख सकती है। और न ही यह केन्द्रीय सरकार की दी जा सकती है इसका स्पष्ट अर्थ यह था कि देशी रियासतों इस बात का निर्ण करने के लिए भारतीय संध पूर्ण स्वतंत्र होगी क वे संध के संविधान का माने या न मानें। दूसरी शब्दों में, देशी रियासतों के लिए भारतीय संध में सम्मिलित होना अनिवार्य न था। वे भारतीय संध से अलग भी रह सकती हैं इस तरह से योजना के द्धारा भारत के अनेक टुकड़े करते हुए उसे तीन सदी पूर्व की स्थिति में डालने का प्रयत्न किया गया था। निश्चित ही यह व्यवस्था बहुत खतरनाक थी और राष्ट्रीय हितों के प्रतिकुल थी।

7.सिक्खों के साथ अन्याय – इस योजना में सिस्खों के साथ अन्याय किया गया था उनके प्रतिनिधियों तथा नेताओं से किसी प्रकार का विचार–विमर्श किया बिना ही पंजाब को उतर– पश्चिम प्रान्तीय समूह का अंग बना दिया गया । इसके अतिरिक्त , मसलमाानों जैसी विशेष सुविधाएं उन्हें नही दी गयी थी। उन्हे मुसमलानों की दया पर छोड़ दिया गया था।

8. अंतरिम सरकार से संबधित प्रस्ताव दोषपूर्ण – अंतरिम सरकार की अवधि के बारे में योजना में स्पष्ट रूप से कुछ नही कहा गया था। इसके अतिरिक्त , अंतरिम सरकार का प्रास्तावित गठन भी दोषपूर्ण था। अंतरिम सरकार में कांग्रेस के 6 और मुस्लिम लीग के 5 सदस्य रखे गये थे। इस प्रकार , इस योजना के द्वारा अंतरिम सरकार में बहुसंख्यक हिन्दु समप्रदाय और अंल्पसंख्यक मुस्लिम समप्रदाय को लगभग प्रतिनिधित्व प्रदान करना सैद्धान्तिक दृष्टि से अनुचित था।

9 क्रिप्स प्रस्तावों की तरह इस योजना में भी दोष था कि या तो सारी योजना स्वीकार की जाती या पूर्णतया अस्वीकृत ही। कोई भी दल ऐसा नही कर सकता था कि दूसरो कुछ भागों को मान ले और अन्य भागों को न मानें यह जटिल दृष्टिकोण योजना का एक वड़ा दोष था।

कैबिनेट मिशन योजना के प्रति राजनीतिक दलों का रूख।

भारत के विभिन्न वर्गो द्वारा अपने–अपने दृष्टिकोण से योजना की आलोचना की गयाी थाी। गॉधी और कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद इन प्रस्ताव को स्वीकार करने के।

पक्ष में थे। गॉधी ने इस संवध मे अपने पत्र हरिजन में लिखा थाी कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में तो बीच मौजुद हैं, जो इस देश को ऐसा बना देंगे। जिसमें दुख –दर्द का नाम न होगा। 8 जुलाई 1947 में कांग्रेस महासमिति की बैठक में

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

कैबिनेट मिशन के प्रताव को स्वीकार करने के पक्षसाय में अपने विचार व्यक्त करते हुए मौलाना आजाद ने कहा कि , यह योजना निःसदेह कांग्रेस की बड़ी भारी जीत हैं, यह हिंसा और खुनी बगावत के बिना स्वाधीनता की प्राप्ति सुचित करती है। 9 योजना के संबध में क्रांग्रेस ने अपने सूचना पत्र में यह प्रतिपादित किया था कि, प्रतिबंधों आरक्षणों अभिरक्षा तथा वर्ग हितों के सन्तुलन के इस वन में स्वतंत्र भारत का स्पष्ट चित्र ही दिखाई नहीं पड़ता था। प्रर्याप्त आलोचन के बावजुद भी प्रायः सभी दलों ने दस योजना को स्वीकार कर लिया। लीग ने 6 जून 1946 ई0 को और कांग्रेस ने 25 जून, 1946 को इस योजना को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने इस योजना पर अपनी स्वीकृति इसलिए दी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के अंकुर विधमान थे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र, संयुक्त तथा लोकतान्त्रिक भारत के संविधान को बनाने की आशा से प्रेरित होकर इसे स्वीकार कर लिया। यधपि सिक्ख पहले इस योजना के विरूद्ध थे। उनके नेता मास्टर तारचन्द ने योजना की आलोचना करते हुए कहा था कि , इसमें सिक्खों को मुसलमानों की दया पर छोड़ दिया गया है। परन्तु जब कांग्रेस और भारत सचिव ने यह आश्वासन दिया कि उनके न्यायपूर्ण हितों की उपेक्षा नहीं की जायेगी, तो उन्होंने इस योजना को मान लिया। हिन्दू महासभा ने इस योजना में प्रान्तों के अनिवार्य समूह को अच्छा नहीं समझा, क्योंकि इससे देश के विभाजित होने का डर था। सम्यवादी दल ने संविधान पर रूकावटों तथा सम्प्रदायिक धाराओं की निन्दा की। फिर भी, हिन्दुओं सिक्खों तथा मुसलमानों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया था। मौलाना आजाद लिखते हैं की, कांग्रेस तथा लीग का इस योजना को स्वीकार करना भारतीय इतिहास की एक गौरवपूर्ण घटना थी। इसका अभिप्राय यह था कि भारतीय स्वतंत्रता की कठिन समस्या का समाधान हिंसा तथा संघर्ष के उपायों से नहीं, बल्कि समझौता वार्ताओं तथा सहमति से कर लिया गया है। सारा देश उल्लास और हर्ष से भरपुर था और स्वतंत्रता की मॉग करने में सारी जनता एक थी। हम यह नहीं जानते थें कि ये सब खुशियॉ केवल कुछ ही दिनों की बात है और शीघ्र ही हमें एक असाधारण निराशा का मुँह देखना पड़ेगा।10

संविधान सभा का चुनाव

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए, जिसमें कांग्रेस की भरी विजय हुई। 210 सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में से कांग्रेस को 199 स्थान प्राप्त हुए। शेष 11 स्थानों में से 2 पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी को, 1 काम्युनिस्ट पार्टी को, 1 दलित उद्वार संघ को और 6 स्वतंत्र उम्मीदवारों को प्राप्त हुए। मुसलमानों के लिए निर्धारित 78 स्थानों में से 73 स्थान पर मुस्लिम ली गी जीत हुई। शेष 5 स्थानों में से कांग्रेस ने 3 स्थान, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने एक स्थान और बंगाल की कृषक प्रजा पार्टी ने एक स्थान पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार 296 सदस्यों में से कांग्रेस का साथ देने के लिए 212 और लीग का साथ देने के लिए 73 सदस्य थे। शेष 11 सदस्यों में से भी 6 कांग्रेस का नेतृत्व मानने के लिए तैयार थें। लीग को कांग्रेस की विजय से निराशा मिली। इस समय नेहरू ने कहा कि कांग्रेस केवल उस समय तक संविधान सभा में रहेगी, जब तक ि कवह उसमें रहना भारत के हित में समझेगी। हम वहॉ जाकर जो कुछ करेगें, उसके लिए हम बिल्कुल स्वतंत्र होगे।

लीग का अपनी स्वीकृति को वापस लेना

मुस्लिम लीग को चुनावों में कांग्रेस की शानदार विजय से घोर निराशा हुई। तत्पश्चात् जब कांग्रेस द्वारा अन्तरिम सरकार की योजना को अस्वीकृत किये जाने के बाद लार्ड वेवेल ने लीग के सहयोग से अन्तरिम सरकार बनाना स्वीकार न किया, तो जिन्ना क्रुद्ध हो उठे। लार्ड पैथिक लॉरेन्स तथा क्रिप्स के बयान से भी उसे बहुत दुख हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्ना को मुसलमानों की नियुक्ति के संबंध में एकाधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार, लीग शासन और कांग्रेस के दृष्टिकोण से असन्तुष्ट थी ही, कि इस समय उसे इस योजना को अस्वीकार करने का बहाना मिल गया। मौलाना आजाद ने लिखा कि, कांग्रेस के प्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 जूलाई, 1946 ई0 को बम्बई में एक प्रेस सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस संविधान सभा में भाग लेन के सहमत गयी है और कैबिनेट मिशन योजना को संशोधित या तब्दील करने के लिए आपको स्वतन्त्र समझती हैं। कांग्रेस प्रधान का यह बयान सबसे बड़ी गलती थी। जिन्ना ने इस बयान का अपने लाभ के लिए खूब प्रयोग किया और योजना को 29 जुलाई 1946 के अस्वीकार कर दिया। इस संबध में वी0 पी0 मेनन ने भी लिखा हैं कि, कांग्रेस प्रधान जवाहरलाल नेहरू ने 6 जुलाई ,1946 से शुरू होने वाले कांग्रेस के किसी बम्बई अधिवेशन में कहा कि जहॉ तक वह समझता है कांग्रेस के किसी अन्तर्कालीन या लम्बी योजना को मानने को प्रश्न नहीं है। यह केवल उसके संविधान सभा में दाखिल होने का प्रश्न हैं कांग्रेस तब तक संविधान सभी मे रहेगी, जब तक वह उसमें रहना भारत के हित मे समझेगी और जिस समय वह समझेगी के इससे उसके उदेश्यों को हानि पहुँच रही हैं, तो वह बाहर आयेगी। हम वहॉ जाकर जो कुछ करेंगे, जो कुछ करेंगे, उसके लिए हम बिल्कुल स्वतन्त्र होंगे। प्रान्तों के समुहों के सबंध मे नेहरू ने कहा कि बड़ी भारी स्वतंत्रता यह हैं कि काई ग्रुप नही बनेंगे।

जिन्ना ने शीध्र ही इस वक्तव्य पर प्रतिक्रिया दिखाई । उसने कहा कि लीग ने पाकिस्तान की मॉग को छोड़कर बड़ा भारी त्याग किया था, परंतु कांग्रेस ने प्रांन्तों के अनिवार्य समूहीकरण को नहीं माना है। कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार सम्बन्धी सुझाव को अस्वीकार कर दिया है और वह संविधान सभा में अपने बहुमत के बल पर मनमानी करना चाहती है। इसलिए मुस्लिम लीग इस योजना कसे अस्वीकार करती है। उसने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने की धमकी दी। प्रान्तों के समूहीकरण के संबध मे 18 जुलाई 1946 ई0 के अपने वक्तव्य में सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने हाउस ऑफ है। इस प्रकार , प्रान्तों के समुहीकरण के संबध में मिशन द्वारा लीग की मॉग को स्वीकार कर लिया गया। फिर भी, लीग ने संविधान सभी की कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

अन्तरिम सरकार की स्थापना– कांग्रेस के बाद में कैबिनेट मिशन की दीर्धकालीन और अंतर्कालीन दानों योजनॉए स्वीकार कर ली थीं और लीग ने इस दोनों को अस्वीकार कर दिया था। इसलिए 12 अगस्त , 1946 को गवर्नर जनरल ने पं0 चूँकि वायसराय लार्ड वेवेल मुस्लिम लीग को भी आंतरिम सरकार मे लाने के इच्छुक थें। इसलिए जवाहरलाल नेहरू

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

और वायसराय ने यह प्रयास किया कि कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग की मिली–जुली सरकार बने परन्तु मुस्लिम लीग सरकार में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुई, तो 24 अगस्त ,1946 को प्रथम अन्तरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कर दी गयी 2 सिंतबर 1946 ई0 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व किया – पं0 जवाहरलाल नेहरू सरदार बल्लभ भाई पटेल, आसल अल, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, रामगोपालचारी , शतरचन्द्र बोस, डॉ0 मथाई , सरदार बलदेव सिंह , सर शफात अहमद खॉ। जगजीवनराम सैययद अली जहीर और डॉ सी0 एच0 भाभा। इस प्रकार लीग की इच्छा के विरूद्ध अन्तरिम सरकार का निर्माण हुआ। लीग अपने 5 मनोनित सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके , इसके लिए द्वारा खुला रखा गया था।

मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही – एक ओर लीग ने अन्तरिम सरकार में शामिल होने से इंकार कर दिया दूसरी ओर, अप्रैल 1946 में दिल्ली में मुसलमानों का एक अधिवेशन हुआ, जिसमें यह घोषणा की गयी कि , लीग अपनी पाकिस्तान की मॉग मनवाने मनवाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही ( ) करेगी । अधिवेशन मे सर फिरोज खॉ नून कहा कि हिन्दू मुस्लमानों के उस तांडव नृत्व को देखेगे। जो चगेंज खॉ हालाकू ने भी नही किया। बंगाल के प्रधानमंत्री श्री सोहरावर्दी ने कहा कि मुसलमान एक मरणासन्न जाति नही है और उसका संबध शब्दों तक सीमित नही है बम्बई मे मुस्लिम लीग के नेता श्री चुन्द्रीगर ने घोषणा की कि अंग्रेजो की यह अधिकार नहीं कि वे मुसलमानों को ऐसे लोगों के होथों मे सौंप दे, जिन पर हम हजारों वर्षो तक शासन करते रहे है। मुहम्मद इसमाइल ने घोषणा कि , भारतीय मुसलमान जिहाद (धार्मिक युद्ध) करने का निश्यच कर चूके हैं। इसी श्रृंखला मे लीग ने 27–29 जुलाई को एक प्रस्ताव किया कि , वह स्वतन्त्र पूणग प्रभुत्व सम्पन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्यवाही करेगी। इस हेतु 16 अगस्त , 1946 का दिन निशचित किया गया। पूर्व निश्चयानुसार 16 अगस्त के लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यावाही प्रारंभ कर दी। देश भर मे हिन्दू–मुस्लिम दंगे हुए। बंगाल मे इस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी और सोहरावर्दी वहॉ के मुसलमानों थे। उन्होनें 16 अगस्त को बंगाल मे सार्वलनिक अवकाश धोषित कर दिया। बंगाल की सोहरावर्दी सरकार ने मुसलमानो को उकसाया और उन्हें हिन्दुओं पर अत्याचार करने की खुली छूट दे दी। मुसलमानों ने हिन्दुओं के साथ पाशविकता ओर बर्बरतपूर्ण व्यवहार किया। इसी दिन कलकता मे बड़ी भारी लूट और मार–काट शुरू की गयी, हिन्दुओं की सम्पती को बड़ी भारी हानि पहुॅची। लगभग 5,000 व्यक्ति इस झगड़ों में मारे गये। , 15000 जख्मी हुए और 1,00,000 के कारण नगर आंतक, हत्या और खून के सागर में डुब गया। सौकडों व्यक्ति के जीवन का अंत हो गया। हजारों व्यक्ति घायल हुए और करोड़ो की सम्पति बर्बाद हुई नगर में गुण्डों का राज था। डॉ राजेन्द्र प्रसाद लिखते हैं कि इस तरह का कत्लेआम कलकते में कभी नही हुआ था। शायद नादिरशाह के दिल्ली वाले कत्लेआम के अलावा और कहीं भारतवर्ष के इतिहास मे ऐसा उदाहरण नही मिलता हैं यह लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही का एक नमूना था। डॉ पटाभि सीतारमैया ने ठोस प्रमाणों के आरधार पर कहा है कि, इस कुत्सित काण्ड के लिए मुस्लिम लीग ही उतरदायी थी। कलकता ने छपने वाले अंग्रेजी समाचार–पत्र The statesman' ने जो हमेशा लीग का समर्थन करता आया था। इस सोचनिय घटनाओं के लिए मुस्लिम लीग के जिम्मेदार ठहराया। उसने अपने 20 अगस्त 1946 के अंग मे इस प्रकार लिखा, बंगाल के महान प्रांत की राजधानी में यह घृणापूर्ण रक्तपात मुस्लिम लीग का एक ऐसा राजनीतिक कदम है। जिससे वह स्वंय ही चाहीए। इसी प्रकार की बाते इंग्लैड के अनेक समाचार–पत्रों ने भी लिखी, जिसमें द टाइम्स भी शामिल थी। लीग की इस कार्यवाही से सारे देश मे साम्प्रदायिक दंगो की आग भड़क उठी। स्थान–स्थान पर उपद्रव होने लगे। कलकत्ता के बाद त्रिपुरा और नोआखाली मे भी दंगे हुए और मुसलमानों ने हिन्दुओं पर अमानवीय अत्याचार किये। पंजाब मे भी सिक्खों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। इसकी प्रतिक्रिया बिहार, गढमुक्तेश्वर और अहमदाबाद में भी हुई और देखने वालों के दिल दहल उठे। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भारत के इतिहास मे एक काला धब्बा Black day था ।

मुस्लिम लीग का आन्तरिम सरकार मे प्रवेश।

आंतरिम सरकार के सदस्यों ने 2 दिसम्बर को पद संभाल लिया । इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नही लिया था। लेकिन वायसराय ने इसके लिए प्रयास जारी रखा, क्योंकि मुस्लिम लीग के अभाव मे अंतरिम सरकार सुचारू रूप से कार्य नही कर सकती थी। वायसराय के प्रयासों से मुस्लिम लीग ने 15 अक्टुबर, 1946 इं0 अंतरिम सरकार में भाग लेने का निश्चय किया। कांग्रेस ने लीग के लिए 5 स्थान रिक्त कर दिये और लीग की ओर से 5 सदस्य – नवाबजादा लियाकत अली खॉ, अंतरिम सरकार मे सम्मिलित हुए लेकिन लीग की नीयम साफ नही था। सरकार मे शामिल से पुर्व गजनफर अली ने स्पष्ट शब्दों मे कहा कि हम अंतरित सरकार मे इसलिए सम्मिलित हो रहे हैं, ताकि हम अपने उदेश्य –पाकिस्तान की पूर्ति लिए सफलतापुर्वक संधर्ष कर सके । आंतिरम सरकार हमारी सीधी कार्यवाही के आंदोलन का एक और मोर्चा होगी। अमिव चटर्जी लिखते हैं कि लीग अपनी ओर से श्री मण्डल की नियुक्ति करके भारत के सभी अल्पमतों के प्रतिनिधि होने का दावा कर रही थी। इसके अलावा लीग यह दिखा देना चाहती थी कि यदि कांग्रेस भारत के सब लोगों का प्रंतिनिधित्व करने का दावा कर सकती है, तो लीग भी सब अल्पमातों का , जिनमें हिन्दुओं का भी एक वर्ग सम्मिलित हैं, प्रतिनिधित्व करने का दावा कर सकती हैं।

अन्तरिम सरकार मे मुस्लिम लीग के सम्मिलित होने का उदेश्य शासन को सुचारू रूप से संचालित करने या स्वतंत्रता को निकट लाना नही था, बल्कि उसके उदेश्य सरकारी कार्ये मे रोड़ा अटकाना अपनी स्थिती को दृढ़ करना पाकिस्तान की मॉग को मनवाना और देश की देश प्रगति को अवरूढ करना था। वी0 पी0 मेनन ने लिया है कि , मुस्लिम लीग अन्तर्कालीन सरकार मे इसलिए शामिल हुई थी। क्योंकि इसकी दृष्टि में मुसलमानों तथा दूसरो सम्प्रदाओं के हितों को कांग्रेस के हाथ में छोड़ना ठीक नही था। मेनन ने इस सम्बन्ध मे आगे लिखा है कि मुस्लिम लीग को अपनी विरूद्ध स्थिति मजबूत न करने देने के विचार से ही अंतरिम सरकार में सम्मित हुई थी। फलत दोनों मे कोई सहयोग उत्पन्न नहीं हो सकता था।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग मे अंतरिम सरकार के संबध मे शीध्र ही मतभेद उत्पन्न हो गये, क्योंकि लीग ने अंतरिम सरकार में सम्मिलित हो कर भी परस्पर सहयोग के विचार को नही अपनाया। कांग्रेस चाहती थी कि अंतरिम सरकार एक

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

कैबिनेट के रूप मे कार्य करें, सभी सदस्यों मे ंटीम स्पिरिट हो । यहॉ तक कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से इस संबध मे घोषणा करने के लिए कहा, लेकिन लीग ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया। बीच भारत मंत्री ने दानों पक्षों मे समझौता करवाने का एक और प्रयास किया। नवम्बर , 1946 ई0 मे बिंटिश सरकार की ओर से सम्मेन बुलाया गया। इस सम्मेलना मे पं0 नेहरू , सरदार पटेल, जिन्ना लियाकत अली और सरदार बलदेव सिंह ने भाग लिया। इसमें अनेक राजनीतिक प्रश्नों मे विचार– विमर्श हुआ, परंतु उसका कोई परिणाम नही निकला और सम्मेलन असफल रहा। 6 दिसम्बर , 1946 ई0 को ब्रिटिश प्रधानमंत्रि ने इस सम्मेलन की असफलता को धोषणा कर दी। वायसराय ने 9 दिसम्बर 1946 से आरम्भ होने वाली संविधान सभी की बैठक मे भाग लेने के लिए संविधान सभा के सभी सदस्यों को आमत्रित किया। जिन्ना ने लीग के प्रतिनिधियों को उस में शामिल ना होने का आदेश दिया। वस्तुत लीग ने संविधान सीाी की कार्यवाही मे कभी भग न होने का आदेश दिया। वस्तुतः' लीग ने संविधान सभी की कार्यवाही मे कभी भाग नही लिया।

लार्ड एटली की भारत छोड़ने की धोषणा (20 फरवरी 1947)

मुस्लिम लीग के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण देश की रालनितिक स्थिति दिन–प्रतिदिन बिगड़ जा रही थी ऐसी स्थिती मे ब्रिटिस प्रधानमंत्री लार्ड एटनी ने 20 फरवरी , 1947 ई0 को एक ऐतिहासिक घोषणा कि , सम्राट की सरकार की यह हार्दिक इच्छा है कि वह उत्तरदार्यित्व का सम्पूर्ण भार उनके हाथों मे सौंप दे, जिनको भारत के समस्त दलोंद्धारा निर्मित किया हुआ संविधान स्वीकार हो । अतः सम्राट कह सरकार यह स्पष्ट करती हैं कि वह जून 1948 ई0 तक भारत के उतरदायी व्यक्तियों सता सौप देगी और संविधान सभा द्धारा बनाया हुआ संविधान , जिसमें यह भारतीय सहमत हो, भारत के पार्लियामेंट में लागु करने की सिफारिश करेगी। यदि जून 1948 तक इस प्रकार का सविधान पूर्ण रूप से तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली असेम्बली द्धारा नही बनाया गया, तो ब्रिटिश सरकार को यह सोचना पड़ेगा कि ब्रिटिश भारत में केद्रिय सरकार की सता किसको दी जाये और क्या नयी केंद्रिय सरकार को या कुछ इलाकों मे प्रांतीय सरकारों को या किसी और उचित तरीके से भारतीय जनता के सर्वोचय हित के लिए दी जाये। इसके साथ ही यह भी घोषणा की गयी कि लार्ड वेवेल के स्थान पर लार्ड माउण्टबेटन को ाारत का वायसराय नियुक्त किया जायेगा। जो कि भारत के अंतिम वायसराय होगें।

मि0 एटली की इस घोषणा का भारतीय जनमत द्धारा स्वागत तो किया गया। लेकिन इससे देश खुशी की लहर उत्पन्न्न हीं हुई प्रथम, तो इसलिए कि भारतीय राजनीतिक शासन की बागडोर सम्भालने के लिए तैयार न थे। दूसरे इस घोषणा ने कैबिनेट मिशन योजना के भारत के अखण्ड रखने के निर्णय को रद्र कर दिया था। यह लीग की पाकिस्तान की मॉग के प्रति एक परोक्ष रियासत थी। प्रो0ए0सी0 बनर्जी ने लिखा हैं कि फरवरी 1947 ई0 की घोषणा से यह विचार जोर पकड़ गया कि मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी की मॉग को पूरा किये बिना भारतीय समस्या को नही सुलझाया जा सकता। इससे जिन्ना की हठधर्मों मे और अधिक इजाफा हुआ। अब लीग ने अपनी मॉग को पूरा किये बिना भारतीय समस्या को नही सुलझाया जा सकता। इससे जिन्ना की हठधर्मो में और अधिक इजाफा हुआ। अब लीग ने अपनी मॉग मनवाने के लिए बंगाल,असम,पंजाब तथा उतर–पश्चिम मे समप्रदायिक दंगो को प्रोत्साहित किया।

माउण्टबेटन योजना।

मार्च 1947 मे लार्ड माउण्टबेटन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होने 23 मार्च , 1947 के वायसराय के पद का भार संभाल लिया और शीध्र ही उत्साहपूर्वक अपने कार्य मे संलग्न हो गये। उन्होनें शीध्र ही कांग्रेस तथ मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ विचार–विमर्श किया। इसके पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुचे कि वर्तमान परिस्थितीयों मे भारतीय समस्या का एकमात्र हल पाकिस्तान की स्थापना की मांग को स्वीकार कर लेना ही है। क्योकि मुस्लिम लीग किसी भी किमत पर अखण्ड भारत मे रहने कि लिए तैयार नही है। कांग्रेस ने भी परिस्थितियों के दबाव मे भारतीय समस्या के इस दूखद हल को स्वीकार कर लिया था। लार्ड माउण्टबेटन स्थिति को ब्रिटिश मंत्रिमंडल को परामर्श करनले के उदेश्य से 18मई 1947 , ई0 को लंदन गये।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री से परामर्श करने के उपरांत लार्ड माउण्टबेटन भारत आये।

और 3 जून 1947 ई0 को उन्होनें ने एक योजना पेश की, जो उनके ही नाम पर माउंअबेटन योजना के नाम से प्रसिद्ध हैं।

योजना के मुख्य बातें– माउण्टबेटन योजना की मुख्य बातें निम्नलिखित थी।

1. ब्रिटिश सरकार की यह इच्छा है कि वह भारत का शासन शीध्र ही ऐसी सरकार को सौंप दे। जिसका निर्वाचन जनता द्धारा हुआ हो।

2. ब्रिटिश सरकार यह नही चाहती है कि वर्तमान सभा के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित की जाए।

3. संविधान सभा द्धारा निर्मित संविधान को केवल उन भागों में कार्यान्वित किया जाये जो उसको स्वीकार करते हों।

4. इस योजना के अनुसार भारत के दो भागों में विभ्क्त किया जायेगा। भारत तथा पाकिस्तान और दोनों की जून 1948 के बजाय 15 अगस्त 1947 को ही स्वंतत्रता दी जायेगी।

5. मुस्लिम लीग चाहती थी कि सम्पूर्ण बंगाल, पंजाब और आसाम पाकिस्तान में सम्मिलित किये जाये, परंतु इस मांग को लार्ड माउंटबेटन ने स्वीकार नही किया। यह निश्चित किया गया कि यूरोपियन सदस्यों को छोडकर पंजाब और बंगाल की विधान सभाओ के अधिवेशन दो भागों के किये जायेगे। इस भाग में मुस्लिम बहुतम वाले जिलों के प्रतिनिधि होगों और दूसरे भाग मे हिन्दू बहुमत वाले जिलों के प्रतिनिधि होंगे। योजना में मुस्लिम बहुमत वाले जिलों के नाम गिनाये गयो। प्रत्येक भाग निश्चित करेगा कि उसके प्रान्त का विभाजन किया जाये या नही यदि बहुमत के पक्ष में हों तो उनको यह निर्णय करना होगा कि वे वर्तमान संविधान सभा मे संम्मिलत होना चाहते है या एक पृथक संविधान सभा का निर्माण करना चाहते है।

6. सिंध की विधानसभा इस प्रश्न पर निर्णय करेगी कि वह भारत में मिलना चाहती है या पाकिस्तान में।

7. चुकि आसाम के सिलहत जिले में मुसलमानों का बहुमत हैं इसलिए वह व्यवस्थायी गयी कि वहां की जनता

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

जनमत संग्रंह द्वारा इस बात का निर्णय करेगी कि वह आसाम के अंतर्गत रहना चाहती है या पुर्वी बंगाल में सम्मिलित होना चाहती हैं

8. यह भी निश्चित किया गया कि उत्तर–पश्चिम सीमा प्रांत में गवर्नर जनरल के निर्देश में इस बात का निर्णय कने के लिए जनमत संग्रह किया जायेगा। कि सीमा प्रांत भारत मे रहना चाहता हैं या पाकिस्तान में।

9. ब्लूच्स्तिान को भी भारत मे रहने या अलग होने के संबध मे निर्णय करने का अधिकार होगा।

10. यदि विभाजन का समर्थन किया गया, तो भारत और पाकिस्तानी सीमा निर्धारण हेतु गवर्नर जनरल द्वारा एक कमीशन की नियुक्ति की जायेगी।

11. भारत और पाकिस्तान राज्यों के बीच लेने देन के विभाजन के लिए समझौता किया जायेगा।

12. देशाी रियासतों को भी यह अधिकार दिया गया हैं कि वे भारत या पाकिस्तान में अपनी इच्छानुसार सम्मिलित हो सकती है।

13. भारत और पाकिस्तान को इस की पूर्ण स्वंतत्रता प्राप्त होगी कि यदि चाहें कि राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को त्याग दे।

योजना की स्वीकृति एवं क्रियान्विति– मांउटबेटन योजना को स्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस के कुछ नेताओं में मतभेद था। जहां मौलाना आजाद और पुरूषोतमदास टण्डन ने इस योजना का विरोध किया, वहा गोंविंद वल्लभ पंत, जवाहर लाल नेहरू, बल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी(काग्रेस अध्यक्ष) तथा महात्मा गांधी ने इस योजना को देश की वास्तविक स्थिति को धयान में रखते हुए स्वीकार करने पर बल दिया। पंडित गोविन्द बल्लभ पंत ने इस समय ये शब्द कहे, 3 जुन 1947 की योजना की सवीकृति ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एकमेव मार्ग हैं इससे शक्तिशाली केंद्र बन सकेगा। और भारत की उन्नती हो सकेगी। कांग्रेस ने एकता के लिए बहुत कार्य किया है और इसके लिए अपना सबकुछ न्यार्छावर कर दिया हैं। आज कांग्रेसको या तो इस योजना को स्वीकार करना हैं अथवा आत्महत्या करनी हैं उन्होनें कहा कि मंत्रिमंडल मिशन द्वारा यह योजना के गुपों ओर निर्बल केंद्र से यह योजना अच्छी है। इसके बाद कांग्रेस द्वारा यह योजना स्वीकार कर ली गई इस प्रकार मुहम्मदअली जिन्ना ने लगंड़े पाकिस्तान को स्वीकार करने से इंकार कर दिया, पंरतु उसे लार्ड माउंटबेटन के दबाव के कारण स्वीकार करना पडा़।

लीग और कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिए जाने के बाद लार्ड मांउटबेटन ने इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए तुरंत कदम उठाये। बंगाल ओर पंजाब की विधानसभाओं ने विभाजन के पक्ष में मत दिया। सिलहट की जनता ने पूर्वी पाकिस्तान में मिलने का निर्णय किया। पूर्वी पंजाब तथा पश्चिम बंगाल ने भारत में शामिल होना स्वीकार किया। पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान मे रहने का निर्णय किया। । इस प्रकार, भारत विभाजन का मार्ग प्रशसत हो गया। इसके बाद माउण्टबेटन योजना क्रियावन्ति कार्य के लिए ब्रिटिश संसद में 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित कर दिया। जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान दो स्वंतत्र राज्यों का प्रादूर्भाव हुआ। डॉ ताराचन्द के अनुसार माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत को स्वतंत्रता तो मिल गयी। परंतु राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से जो एक राष्ट्र बन गये, जो एक दूसरे के शत्रु और विरोधी होते थे।

अंत में इस महत्वपुर्ण प्रश्न पर भी विचार कर लेना चाहिए। कि अग्रेजों में इतनी सदबुद्धि कैसे पैदा हो गई कि वे स्वयं भारत छोड़ने के लिए तैयार हो गये। डॉ0 पटाभि सीतररमैया का कहना था कि यह केवल परिस्थितियो का बल था, नकि अग्रजों की आदर्शवादिता। जिसके कारण वह भारत छोड़ने को तैयार हुए। निः संदेह अंग्रजो का भारत छोड़ देने का निर्णय दूरदर्शितापूर्ण था।

भारत में राष्ट्रीय भावना द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत इतनी विकसित हो चुकी थी। कि अंगेजो ने यह जान लिया था कि शक्ति के जोर पर छल द्वारा अब भारत को दबाव रखना अंसभव था। सन् 1942 का आंदोलन आजाद हिन्द फौज का संगठन, सेना में विद्रोह आदि ऐसी घटनाएं थी, जिनसे अंगेजो को महसूस हो रहा था। कि वह एक सुलगते हुए ज्वालामुखी पर बैठे थे। जिसका कभी भी विस्फोट हो सकता था। इसके अतिरिक्त रूप अमेरिका आदि देशों ने भी समय–समय पर अंग्रेज सरकार को कहा था कि वह भारत में संर्वधानिक गतिरोध को समाप्त करने की कोई योजना बनावे। एशिया मे भी प्रगतिशील आंदोलन जोर मारने लगा। एशियाई राष्ट्र यह महसुस करने लगे थे कि पश्चिमी राब्ट्र उनका शोषण कर रहे हैं। सुदूर तथा मध्य–'पुर्व मे नवचेतना फैल रही थी। परंतु इस सबमें अधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि द्वितीय विश्वयुद्ध के उपरांत अंग्रजो की शक्ति बिल्कुल क्षीण हो चुकी थी। आर्थिक दृष्टि से वह दिवालिया हो चुके थे। तथा ऐसी नाजुक समय मे जब ब्रिटेन को अपने देश का पुननिर्माण करना था, उसमे इसकी शक्ति नही थी। वह साथ–ही–साथ भारत पर भी अपना प्रभुत्व कायम रख सके।

संदर्भ सूची–:

1. चंद्र प्रकाश भाम्भरी एवं दया प्रकाश रस्तोगी–भारतीय संविधान और राष्ट्रीय आंदोलन पृ0 265
2. वही , पृ0 266
3. माइकेल ब्रेचर – नेहरू पॉलिटिक्ल बायोग्राफी, पृ0 289
4. अबुल कलाम आजाद – इंडिया विन्स फ्रिडम, पृ0 85
5. रजनी पांमदत – आज का भारत, पृ0 85
6. जिन्ना का 5 जून 1946 का भाषण, एस0 सी0 बनर्जी, कांन्स्टिअयूट असेम्बल, पृ 084
7. जयप्रकाश नारायण का भाषण, जून 6, 1946
8. हरिजन, 11 जुलाई 1946
9. अबुल कलाम आजाद – इडिया विन्स फ्रीडम, पृ0 148

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

10. वही , पृ0 151
11. वी0 पी मेनन – दी ट्रांसफर आफ पावरइन इंडिया, पृ0 280–81
12. वी0 पी मेनन – दी ट्रांसफर आफ पावरइन इंडिया, पृ0 294
13. मौलाना आजाद– इंडिया विंस फ्रिडम पृ0 159
14. डॉ राजेन्द्र प्रसाद – आत्म कथा , पृ0 643
15. डॉ पटाभि सीतारमैया – दी हिस्ट्री आफ कांग्रेस , वोल –द्वितीय, पृ0 360
16. अमिव चटर्जी– दी काफॅन्स्टिअयूशनल डेवलपमेंट ऑफ इण्डिया, पृ0 165
17. वी0 पी0 मेनन – दी ट्रांसफर ऑफ पावर इन इडिया, पृ0 315
18. वही, पृ0 318
19. वही पृ0 384–85
20. प्यारेलाल महात्मा गॉधी – दी लास्ट फेज, वोल – द्वितीय भाग 215
21. तराचंद – भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास

© RRIJM 2015, All Rights Reserved